कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/माप्र/बी-2/1410(00)/कोविड-2021/133 दिनांक 07/9/2021

(कोविड-19 अत्यावश्यक)

समस्त संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा संभागीय कार्यालय
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय- माध्यमिक/प्रारंभिक।

विषयः- कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुवे शिक्षा विभाग में कार्यरत सरकारी विद्यालयों के समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों के वैक्सीनेशन के संबंध में।

प्रसंगः- श्रीमान सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्वांइट मॉनिटरिंग कमेटी की विडियों कॉन्फ्रेन्सिंग (दिनांक 31.08.2021) द्वारा प्रदत्त निर्देश।

उपर्युक्त विषयांतर्गत एवं प्रसंगानुसार लेख है कि श्रीमान सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्वांइट मॉनिटरिंग कमेटी की विडियों कॉन्फ्रेन्सिंग (दिनांक 31.08.2021) द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में कोविड-19 वैश्विक महामारी की पुनरावृति को रोकने हेतु शिक्षा विभाग में कार्यरत सरकारी विद्यालयों के समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारियों/ कर्मचारियों के वैक्सीनेशन के संबंध में ऐसे कार्मिक जिन्हें वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी है, उन्हें 14 सितम्बर, 2021 तक प्रथम डोज का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें। तथा जिन शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रथम डॉज लग चुका है एवं द्वितीय डॉज की पात्रता रखते है उनका द्वितीय डॉज का वैक्सीनेशन भी 14 सितम्बर, 2021 तक अवश्यक रूप से करवाया जाए।

इस हेतु आप समस्त संभाग/जिला स्तरीय अधिकारी अविलम्ब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से सम्पर्क करते हुए दिनांक 14 सितम्बर, 2021 तक निर्देशानुसार प्रगति सुनिश्चित करें। समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे संभाग स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए प्रगति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव,स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्रीमान सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 31.08.2021 को आयोजित ज्वाइंट मॉनिटरिंग कमेटी की विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में दिये गये निर्देशों की पालना में कोविड–19 वैश्विक महामारी की पुनरावृति को रोकने हेतु शिक्षा विभाग के गैर सरकारी विद्यालयों के समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों के वैक्सीनेशन के संबंध में ऐसे कार्मिक जिन्हें वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी है, उन्हें 14 सितम्बर, 2021 तक प्रथम डोज का वैक्सीनेशन सुनिश्चित करें तथा जिन शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रथम डॉज लग चुका है एवं द्वितीय डॉज की पात्रता रखते है उनका द्वितीय डॉज का वैक्सीनेशन भी 14 सितम्बर, 2021 तक अवश्यक रूप से करवाया जाए।

इस हेतु आप समस्त संभाग/जिला स्तरीय अधिकारी अविलम्ब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से सम्पर्क करते हुए अपने अधिनस्थ गैर सरकारी विद्यालयों में दिनांक 14 सितम्बर, 2021 तक शासन से प्राप्त निर्देशों की पालना में शत–प्रतिशत वैक्सीनेशन करवाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/साप्र/डी–2/4418(68)/कोविड–2021/134 दिनांक 07/9/2021
प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव,स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा संभागीय कार्यालय
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय– माध्यमिक/प्रारंभिक को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधिनस्थ गैर सरकारी शिक्षण संस्था प्रधानों को उनके शिक्षण संस्थान में कार्यरत समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारियों/ कर्मचारियों को वैक्सीनेशन करवाने हेतु पाबन्द करें।
6. सिस्टम एनालिस्ट को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर